



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-25.03.2024

थाना दोघट पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान वन्य जीवों को मारकर तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पोनिया 12 बोर मय 49 जिन्दा व 53 खोखा कारतूस, 01 कुल्हाडी, 01 अवैध चाकू, 01 प्लास्टिक की डिब्बी छोटे छर्रे, वन्य जीव पकडने का 01 जाल, 02 नुकीली सरिया, 02 मोटरसाइकिल तथा 01 हिरण का सींग व 1.10 लाख रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वन्यजीवों को मारकर तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को बाद



पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पोनिया 12 बोर मय 49 जिन्दा व 53 खोखा कारतूस, 01 कुल्हाडी, 01 अवैध चाकू, 01 प्लास्टिक की डिब्बी छोटे छर्रे, वन्य जीव पकडने का 01 जाल, 02 नुकीली सरिया, 02 मोटरसाइकिल तथा 01 हिरण का सींग व 1.10 लाख रूपये नगद बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 307/34 भादवि, 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम, 2/9/39/44/49बी/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, धारा 26(1)(झ) भारतीय वन अधिनियम 1927 व धारा 4(1) वन्य पंक्षी और जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम 1912 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कुर्बान पुत्र मांगा निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. मुर्सलीन पुत्र लियाकत उर्फ लाखा निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पोनिया 12 बोर मय 49 जिन्दा व 53 खोखा कारतूस ।
- 01 कुल्हाडी ।
- 01 अवैध चाकू ।
- 01 प्लास्टिक की डिब्बी छोटे छर्रे ।
- वन्य जीव पकडने का 01 जाल ।
- 02 नुकीली सरिया ।
- 01 हिरण का सींग ।
- 1.10 लाख रूपये नगद ।
- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर नं0 UP 17 Y 1083
- 01 मोटरसाइकिल HF डीलक्स बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष सोनवीर सिंह थाना दोघट बागपत ।
- 2-क्षेत्रीय वन अधिकारी बडौत श्री सुनेन्द्र सिंह ।
- 3-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 4-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट बागपत ।
- 5-है0का0 241 विजय थाना दोघट बागपत ।
- 6-वन दरोगा राहुल कुमार नैन ।
- 7-वन दरोगा मोहित चौधरी ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 25.03.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

याकूब उर्फ काला पुत्र अब्बास निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

नोट – गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त थाना बिनौली का एच0एस है जिसका एचएस नं0 532(A) है । जिसका आपराधिक इतिहास निम्न है-

1-मु0अ0सं0 320/09 धारा 379/411 भादवि व 26 वन अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 364/09 धारा 26 वन अधिनियम व 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 411/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 394/09 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 537/09 धारा 147/148/332/336/358/427/506/270 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 07/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 05/10 धारा 307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 98/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

9-मु0अ0सं0 364/10 धारा 26 वन अधिनियम व 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

10-मु0अ0सं0 08/10 धारा 379/411 भादवि व 26 वन अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

11- मु0अ0सं0 20/11 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना बिनौली

12-मु0अ0सं0 327/11 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बिनौली

13-मु0अ0सं0 359/11 धारा 379/411 भादवि व 26 वन अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4- का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-हो0गा0 415 अंकुर कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।